



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

जयपुर रोड, अजमेर — 305 026

विज्ञापन संख्या: 2/परीक्षा 'क'/राज्य—अधी./2010—11

दिनांक : 30 जून, 2010

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010

EXAM CODE NO.: 01

(To be filled in OMR Sheet col. no. 7)

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत **राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010** के लिये कार्मिक विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित :-

1- सेवा एवं पदों का विवरण :-

राज्य सेवाएं

क्र. सं.	पद नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	15600-39100 GP 5400	40
2	राजस्थान पुलिस सेवा	15600-39100 GP 5400	11
3	राजस्थान लेखा सेवा	15600-39100 GP 5400	37
4	राजस्थान सहकारी सेवा	9300-34800 GP 4200	15
5	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	9300-34800 GP 4200	-
6	राजस्थान कारागार सेवा	9300-34800 GP 4200	1
7	राजस्थान उद्योग सेवा	9300-34800 GP 4200	1
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	9300-34800 GP 5400	-
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	9300-34800 GP 4200	121
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	9300-34800 GP 4200	-
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	9300-34800 GP 4200	2
12	राजस्थान परिवहन सेवा	9300-34800 GP 4200	2
13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	9300-34800 GP 4200	20
14	राजस्थान देवस्थान सेवा	9300-34800 GP 4200	-
15	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	15600-39100 GP 5400	74
16	राजस्थान महिला विकास सेवा	15600-39100 GP 5400	40
		कुल पद	364

अधीनस्थ सेवाएं

क्र. सं.	पद नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	9300-34800 GP 3200	-
2	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	9300-34800 GP 3200	-
3	राजस्थान तहसीलदार सेवा	9300-34800 GP 3600	35
4	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	9
5	राजस्थान अधीनस्थ सेवा(कनिष्ठ नियोजन अधिकारी)	9300-34800 GP 3200	2
6	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3600	7
7	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	300
8	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	37
9	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	9300-34800 GP 3200	18
		कुल पद	408

नोट:-

- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 की अनुसूची I & II में वर्णित सेवाओं में से शासन से जिन सेवाओं के कुल रिक्त पदों की सूचना आयोग को प्राप्त हुई है उनके रिक्त पदों को उपरोक्त तालिका में अंकित करते हुए दर्शा दिया गया है। शासन से शेष रही सेवाओं के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त होने पर उन पदों हेतु भी भर्ती की कार्यवाही इसी परीक्षा के तहत की जा सकेगी।
- इस परीक्षा के सेवा नियम, 1999 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषणा से पूर्व राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के सेवा वार श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की नवीनतम संख्या यथा— सामान्य/अ.जा./अ.ज. जा./पि.व/वि.पि.व/अनुसूचित क्षेत्र/निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी/अराजपत्रित कर्मचारी/महिला/विधवा महिला के आरक्षण की नवीनतम सूचना शासन से प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति जारी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

- 3 शासन से सूचित रिक्त पदों में नियमानुसार महिलाओं, अराजपत्रित कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी, निःशक्त जन, भूतपूर्व सेनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा परंतु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके बे अभ्यर्थी हैं, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा । महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30% होगा जिसमें से 5% विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा ।
- 4 विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
- 5 राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा ।
- 6 विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-10-2002 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को तबतक अग्रनीत किया जायेगा जबतक यथास्थिति, राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते । किन्हीं भी परिस्थितियों में, राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा ।
- 7 “ उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है ” और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :—
एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्व विद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो ।
- 8 आवेदक द्वारा विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिये एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये । अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार के लिये योग्य पाये जायेंगे, वे साक्षात्कार के समय सेवा/पदों जिनके लिये आवेदक इच्छुक हैं, आयोग द्वारा जारी मुद्रित आवेदन पत्र पर सेवाओं का प्राथमिकता क्रम भर कर प्रस्तुत कर सकेंगे । एक बार दिये गये सेवा प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- 9 पेशन:— नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 1-1-2004 से अंशदायी पेशन योजना लागू होगी । ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदर्भ दिया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा ।
प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं ।

2- आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक — आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने का अन्तिम दिनांक 30 जुलाई 2010 सायं 6.00 बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

प्रेषण : O.M.R. Application Sheet भरने के बाद उसे दिये गये आयोग के पते लिखे लिफाफे में आयोग को भेजें । एक लिफाफे में एक ही O.M.R. Application Sheet भेजी जावें । आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से भिजवाए अथवा आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः जमा करायें । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो ।

3- परीक्षा का माह/दिनांक एवं स्थान :—

प्रारम्भिक परीक्षा सम्भवतः दिनांक 29 सितम्बर, 2010 (बुधवार) को राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में आयोजित कराई जाएगी । आवेदक जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है OMR Application Sheet भरने के दिये गये निर्देशानुसार जिले का कोड न. चुन कर कॉलम सं. 6 में पूर्ति करें । यदि आवेदक द्वारा जिला केन्द्र कोड न. की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा गलत कोड न. की पूर्ति की जाती है तो आयोग उसे कोई भी जिला परीक्षा केन्द्र आंवटित कर सकता है ।

आयोग यदि चाहे तो जिला परीक्षा केन्द्रों तथा परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन कर सकता है । **प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गये जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गये जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है ।**

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं जयपुर सम्भागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की सम्भावना है । मुख्य परीक्षा हेतु जिला परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेक से

किया जायेगा तथापि आयोग की यह कोशिश रहेगी की आवेदक द्वारा चुने गये प्रारम्भिक परीक्षा के जिला परीक्षा केन्द्र के नजदीक (सम्भागीय मुख्यालय) का जिला परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाये ।

4- परीक्षा शुल्क (आवेदन पत्र के मूल्य रु 50 सहित) :—

- सामान्य आवेदकों हेतु (जिसमें पि.व. क्रिमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों से अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलित हैं) — रु. 250/-
- पिछड़े वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के नोन क्रिमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं हेतु — रुपये 150/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं — रुपये 50/-
- निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें SC/ST/BC/SBC/General सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित हैं) के आवेदकों हेतु — रुपये 50/-

च्यान दें : आयोग द्वारा आवेदन पत्र के मूल्य में परीक्षा शुल्क सम्मिलित कर विक्रय किया जा रहा है । आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करे ।

5- शैक्षणिक योग्यता :—

आवेदक केन्द्र या भारत के किसी राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की और/या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं का डिग्री (उपाधि) धारक होना चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता रखता हो ।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा ।

स्पष्टीकरण :— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं । ऐसे आवेदक OMR Application Sheet के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन कॉलम में दर्शाये "App." गोले की पूर्ति करे ।

6- आयु :—

आवेदक **1 जनवरी, 2011** को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तु यह कि :—

1. यदि कोई अभ्यर्थी किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, अपनी आयु की दृष्टि से परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार रहा होता/होती, तो वह अपनी आयु की दृष्टि से ठीक बाद वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार समझा जायेगा/जायेगी ।

स्पष्टीकरण :— आयोग द्वारा वर्ष 2008 की परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना 1—1—2009 को की गई थी अतः इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिनांक 1—1—2010 को आयु सीमा में थे, उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा ।

2. उपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में—
 - (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
 - (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी ।
 3. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :—
 - 1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
 - 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
 - 3 अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष
 4. पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
 5. राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/नियमों में अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे व्यक्तियों की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
 6. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
 7. रिजर्विस्टरों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
- भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयुसीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
8. विधवाओं और विछिन्न—विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

- स्पष्टीकरण— विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था
 10. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी
 11. एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा
 12. निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपरिथत होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।
- नोट :— उपरोक्त पैरा 6 के प्रावधान संख्या 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

7- अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :-

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये आरक्षित पदों के लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे । अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा में (राज्य सेवाओं में उनके लिये आरक्षित पदों के लिये) बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूर्ण करना चाहिये :—

1. योग्यता :

(क) आवेदक केन्द्र या भारत के किसी राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की और/या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं का डिग्री (उपाधि) धारक होना चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता रखता हो ।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा ।

स्पष्टीकरण:— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं । ऐसे आवेदक OMR Application Sheet के शैक्षणिक योग्यता के डिविजन कॉलम में दर्शाये "App." गोले की पूर्ति करे ।

(ख) अनुभव :— 1 जनवरी, 2011 को नियमानुसार पांच वर्ष से अन्यून सेवा, रथानापन्न या अधिष्ठायी रूप से पूर्ण होनी चाहिये ।

आवेदक 1 जनवरी, 2011 को उसे सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त है, समय की माह व वर्ष में OMR Sheet के कॉलम संख्या 22 में पूर्ति करें ।

2. **आयु** :— अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 2011 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष का नहीं हुआ हो ।

8- अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :— सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकरणों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

9- नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-

- 1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
- 2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
- 3 किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैन्द्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961)।

- 4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा: परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती: परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा
- 5 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह—13/2006 दिनांक 22—5—2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- 6 भूतपूर्व सैनिकों का आयु सीमा में छूट का लाभ लेने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है, अन्यथा लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

10- आवेदन कैसे करें :-

आवेदक राजस्थान राज्य के सभी जिला रोजगार कार्यालयों से दिनांक 8 जुलाई 2010 दोपहर 12.00 बजे से साय: 6.00 बजे तक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाये गये OMR Application Sheet नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें। इस सम्बन्ध में विज्ञापन के बिन्दु संख्या 4—परीक्षा शुल्क का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

आवेदकों की सुविधा हेतु जयपुर जिला मुख्यालय पर आवेदन पत्र निम्न स्थानों से विक्रय किये जायेंगे:—

1. प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, राम मन्दिर, जयपुर
2. विश्वविद्यालय परिसर रोजगार कार्यालय, जयपुर
3. महिला रोजगार कार्यालय, जयपुर (केवल महिलाओं को आवेदन पत्र विक्रय हेतु)
4. सहायक निदेशक, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, बी—100, बापू नगर, जयपुर

कृपया ध्यान दें :

- आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें। गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रद्द कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक O.M.R. Application Sheet के कॉलम व ० गोले भरने हेतु केवल नीले बाल पेन का प्रयोग करें।
- O.M.R. Application Sheet के गोले में भरी गई सूचना ही कम्प्यूटर द्वारा पढ़ी जाएगी अतः आयोग को आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स □ में की गई प्रविष्टियाँ एवं नीचे भरे गये गोले O एक समान हैं। केवल चौकोर खाने □ में भरी गई सूचना को कम्प्यूटर द्वारा नहीं पढ़ा जायेगा। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियाँ में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा/या केवल गोले में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक यह ध्यान रखें कि उसके द्वारा O.M.R. Application Sheet में भरी सूचना के आधार पर ही उसकी पात्रता की जांच आयोग द्वारा की जाएगी। आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात O.M.R. Application Sheet में की गई प्रविष्टियों में बाद में किसी भी परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक उसके द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। O.M.R. Application Sheet के किसी भी संगत (relevant) कॉलम को खाली नहीं छोड़ें। अधूरा भरा O.M.R. Sheet आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- OMR Application Sheet आवेदन अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है।

नोट :-

1. आवेदक इस परीक्षा के सेवा नियम "राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999" का अध्ययन कर लें। नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. **अनुचित साधनों की रोकथाम**— परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during

the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

3. आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

11- परीक्षा योजना

योजना के अनुसार यह परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक दो प्रश्न पत्र, एक अनिवार्य विषय तथा एक चुना हुआ ऐच्छिक विषय होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न—पत्र 200 अंक का होगा और अवधि दो घण्टे होगी।

प्रारम्भिक परीक्षा के बाल संवीक्षा/क्वालीफाइंग परीक्षा के रूप में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को अंतिम योग्यता कम निर्धारित करने के लिये नहीं जोड़ा जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम सामान्यकरण पद्धति के आधार पर घोषित किया जायेगा। नियमानुसार सफल अथवा असफल अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा की अंकतालिका नहीं भेजी जायेगी तथा नियमानुसार प्राप्तांकों की पुनःगणना भी नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में किये गये किसी भी पत्र व्यवहार का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जायेगा।

राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं/पदों की रिक्तियों के संबंध में मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विभिन्न सेवाओं और पदों के लिये भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल संख्या की 15 गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हों, जितने कि आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिये नियत किये जायें, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र सीनियर सैकण्डरी के स्तर के होंगे और ऐच्छिक प्रश्न पत्र स्नातक डिग्री के स्तर के होंगे।

भाषा एवं साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़ कर समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, या तो हिन्दी में या अंग्रेजी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में और अंशतः अंग्रेजी में देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात नहीं किया गया हो। संस्कृत, उर्दू और सिन्धी साहित्य के प्रश्न पत्रों के उत्तर साहित्य की सम्बन्धित लिपि में ही दिये जायेंगे सिवाय इसके कि जब उनके उत्तर हिन्दी या, यथा स्थिति, अंग्रेजी में देने कि विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की गयी हो।

प्रारम्भिक परीक्षा के विषय एवं कोड नम्बर का विवरण

(क) अनिवार्य प्रश्न पत्र : 1. General Knowledge & General Science

(ख) ऐच्छिक विषय : निम्नांकित में से कोई एक विषय चुनें :—

S.No./Code No.(to be filled in Column No. 8 of OMR APP. Sheet)	Optional Paper (Preliminary Exam)	S.No./Code No.(to be filled in Column No. 8 of OMR APP. Sheet)	Optional Paper (Preliminary Exam)
01.	Agriculture	16.	Geology
02.	Agricultural Engineering	17.	Home Science
03.	Animal Husbandry & Veterinary science	18.	Indian History
04.	Botany	19.	Law
05.	Chemistry	20.	Mathematics
06.	Civil Engineering	21.	Mechanical Engineering
07.	Commerce	22.	Mining Engineering
08.	Crop Husbandry with Horticulture	23.	Philosophy
09.	Computer Engineering	24.	Physics
10.	Computer Science	25.	Political Science
11.	Dairy Processing & Technology	26.	Psychology
12.	Economics	27.	Public Administration
13.	Electrical Engineering	28.	Sociology
14.	Electronics & Telecommunication Engineering	29.	Statistics
15.	Geography	30.	Zoology

मुख्य परीक्षा के विषय एवं कोड नम्बर का विवरण

विभिन्न सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु आवेदकों का चयन करने के लिये मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) ली जायेगी। यह परीक्षा चार अनिवार्य प्रश्न—पत्रों तथा आवेदकों द्वारा चुने गये दो ऐच्छिक विषयों की होगी। चुने हुए प्रत्येक ऐच्छिक विषय के दो प्रश्न—पत्र लिये जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न—पत्र की अवधि तीन घण्टे की होगी।

1— अनिवार्य प्रश्न—पत्र : प्रत्येक अनिवार्य प्रश्न—पत्र के पूर्णांक उनके सम्मुख अंकित हैं।

Compulsory Papers

Paper-I	General Knowledge & General Science
Paper-II	General Knowledge of Rajasthan, Rajasthani Society, Art & Culture
Paper-III	General Hindi
Paper-IV	General English

Maximum Marks

100
100
200
100

Optional Papers	Maximum Marks
Paper-V Paper-VI Paper-VII Paper-VIII	Any two subjects to be opted by a candidate from the following list of optional subjects. Each subject will have two papers. 200 Maximum Marks for each paper

Note: The serial order of the optional papers for Main Examination has been arranged as per optional papers for Preliminary Examination for the facility of the candidates so that code number of Pre. Exam. and Main Exam. remain similar to the same optional paper.

S.No./Code No.(to be filled in Column No. 8 of OMR APP. Sheet)	Optional Paper (Main Exam)	S.No./Code No.(to be filled in Column No. 8 of OMR APP. Sheet)	Optional Paper (Main Exam)
01.	Agriculture	17.	Home Science
02.	Agricultural Engineering	18.	History
03.	Animal Husbandry & Veterinary Science	19.	Law
04.	Botany	20.	Mathematics
05.	Chemistry	21.	Mechanical Engineering
06.	Civil Engineering	22.	Mining Engineering
07.	Commerce and Accountancy	23.	Philosophy
08.	Crop Husbandry with Horticulture	24.	Physics
09.	Computer Engineering	25.	Political Science & International Relations
10.	Computer Science	26.	Psychology
11.	Dairy Processing & Technology	27.	Public Administration
12.	Economics	28.	Sociology
13.	Electrical Engineering	29.	Statistics
14.	Electronics & Telecommunication Engineering	30.	Zoology
15.	Geography	31.	Anthropology
16.	Geology	32.	Management
Literature from one of the following		36.	Sanskrit
33.	English	37.	Sindhi
34.	Hindi		
35.	Urdu		

Note: A candidate shall not be allowed to offer the following combinations of subject:-

- (a) Anthropology and Sociology
- (b) Political Science & International Relations and Public Administration
- (c) Commerce & Accountancy and Management
- (d) Mathematics and Statistics
- (e) Management and Public Administration
- (f) Of the Agriculture and other related subjects viz: Agriculture, Agricultural Engineering, Animal Husbandry & Veterinary Science, Crop Husbandry with Horticulture, Dairy Processing & Technology, not more than one subject.
- (g) Of the Engineering subjects viz: Agricultural Engineering, Civil Engineering, Computer Science/Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics & Telecommunication Engineering, Mechanical Engineering and Mining Engineering not more than one subject.

मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषयों/ऐच्छिक विषयों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें परम्परागत लघु, अति लघु एवं निबन्धात्मक शैली के प्रश्न—पत्र होंगे। आवेदक को अनिवार्य विषयों की परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। जो आवेदक मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निश्चित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करेगा, उसे व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार परीक्षण 160 अंकों का होगा।

ध्यान दें : परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 धन्टा (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम राजस्थान रोजगार सन्देश में दिनांक 15 जुलाई 2010 को एवं आयोग की वैब साइट <http://www.rpsc.gov.in> पर जारी किया जा रहा है।

विशेष :— आयोग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम अन्य सामग्री विक्रय किये जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

12- आयोग की वेबसाइट :— उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 0145-5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समर्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर—305026 को सम्बोधित किया जाये।